न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 194 सन 2019

अनवान :—

1. मीनाकंवर पुत्री मदनसिह जाति राजपूत साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. मन्जुकंवर पुत्री मदनसिह जाति राजपूत साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :— 7·6·19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीयान ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 297/305 के प0न0 176/11(217) किला न0 6 ता 8 ,13 ता 17 ,24 ,25/2.5300हैक्ट. प0न0 17/19(218) किला न0 2 ,3 ,8 ता 13 ,18 ता 24/3.7950हैक्ट , प0न0 176/20(222) किला न0 1 ता 4 ,7 ता 14 ,17 ता 20 ,22/1 ,23/2 ,24/1 ,25/1 की कुल 4.8200हैक्ट प0न0 176/12(223) किला न0 4 ता 7 ,14 ता 17/2.0240हैक्ट , प0न0 176/13(289) किला न0 25/0.2530हैक्ट , प0न0 176/21(290) किला न0 2 ,3/2 ,4/1 ,5 ता 7 ,8/1 ,9/2 ,12 ता 19 ,21 ता 25/4.9970हैक्ट प0न0 176/30(293) किला न0 10 ता 11/0.5060हैक्ट प0न0 176/22(294) किला न0 1 ता 15 ,19 ता 20/4.3010हैक्ट प0न0 176/14(295) किला न0 5 ,6/0.5060हैक्ट कुल 237320हैक्ट भूमि में वादीयागण का 2/9 हिस्सा रिकार्ड में दर्ज है।

वादीयागण अपने हक व हिस्सा की भूमि को काश्त करती एवं रकम राज अदा करते आ रही है वादीयागण के नाम वाद भूमि विरास्तन से दर्ज हुई थी वादीया न0 1 को मीनाकंवर व मीराकंवर दोनो नामों से पुकारा जाता था एवं वादीया न0 2 को मन्जूकंवर व मुन्नीकंवर दोनो नामों से पुकारा जाता था इसलिये विरास्तन दर्ज करते समय वादीया न0 1 का नाम मीराकंवर एवं वादीया न0 2 को मुन्नीकंवर दर्ज हो गया लेकिन अन्य सभी दस्तावेजों नाम वादीया न0 1 का मीनाकंवर व वादीया न0 2 का नाम मन्जुकंवर सही तौर से दर्ज है मीनाकंवर व मीराकंवर दोनो एक ही औरत के नाम है सही नाम मीनाकंवर पुत्री मदनसिह है इसीप्रकार मन्जुकंवर व मुन्नीकंवर दोनो एक ही औरत के नाम है सही नाम मन्जूकंवर पुत्री मदनसिह है।

वादीयागण के अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , पेन कार्ड, सभी में वादीया संख्या 1 का नाम मीनाकंवर व वादीया संख्या 2 का नाम मन्जुकंवर दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीया संख्या 1 का नाम मीराकंवर व वादीया संख्या 2 का नाम मुन्नीकंवर दर्ज है जिससे वादीयागण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीयागण अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

अतः वाद वादीयागण स्वीकार/डिक्री किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 297/305 की कुल 23.7320हैक भूमि में मीराकंवर , मुन्नीकंवर पुत्रीयान मदनसिह दर्ज है के स्थान पर मीनाकंवर , मन्जुकंवर पुत्रीयान मदनसिह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने कर जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावें।

वादीयागण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी /पेरोकार राज को तलब किया गया । पेरोकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादीयागण के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 297/305 की कुल 23.7320हैक्ट भूमि मे मीराकंवर , मुन्नीकंवर पुत्रीयान मदनसिह के स्थान पर मीनाकंवर मन्जुकंवर पुत्रीयान मदनसिह दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादीयान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 297/305 की कुल 237320हैक्ट भूमि में वादीयागण का 2/9 हिस्सा रिकार्ड में दर्ज है। वादीयागण के नाम वाद भूमि

Scanned with CamScanner

विरासतन से दर्ज हुई थी वादीया न0 1 को मीनाकंवर व मीराकंवर दोनो नामों से पुकारा जाता था एवं वादीया न0 2 को मन्जूकंवर व मुन्नीकंवर दोनो नामों से पुकारा जाता था इसलिये विरासतन दर्ज करते समय वादीया न0 1 का नाम मीराकंवर एवं वादीया न0 2 को मुन्नीकंवर दर्ज हो गया लेकिन अन्य सभी दस्तावेजों नाम वादीया न0 1 का मीनाकंवर व वादीया न0 2 का नाम मन्जुकंवर सही तौर से दर्ज है मीनाकंवर व मीराकंवर दोनो एक ही औरत के नाम है सही नाम मीनाकंवर पुत्री मदनसिह है इसीप्रकार मन्जुकंवर व मुन्नीकंवर दोनो एक ही औरत के नाम है सही नाम मन्जुकंवर पुत्री मदनसिह है।

वादीयागण के अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक, पेन कार्ड, सभी में वादीया संख्या 1 का नाम मीनाकंवर व वादीया संख्या 2 का नाम मन्जुकंवर दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीया संख्या 1 का नाम मीराकंवर व वादीया संख्या 2 का नाम मुन्नीकंवर दर्ज है जिससे वादीयागण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीयागण अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

अतः वाद वादीयागण स्वीकार/डिक्री किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 297/305 की कुल 23.7320हैव भूमि में मीराकंवर, मुन्नीकंवर पुत्रीयान मदनसिह दर्ज है के स्थान पर मीनाकंवर, मन्जुकंवर पुत्रीयान मदनसिह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने कर जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 297/305 की कुल 23.7320हैक्ट भूमि में मीराकंवर, मुन्नीकंवर पुत्रीयान मदनसिह के स्थान पर मीनाकंवर मन्जुकंवर पुत्रीयान मदनसिह दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 297/305 की कुल 23.7320हैव भूमि में मीराकंवर, मुन्नीकंवर पुत्रीयान मदनसिह 2/9 हिस्सा दर्ज है।

वादीयागण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक, पेन कार्ड, सभी में वादीया संख्या 1 का नाम मीनाकंवर व वादीया संख्या 2 का नाम मन्जुकंवर दर्ज है। मीनाकंवर व मीराकंवर दोनो एक ही औरत के नाम है सही नाम मीनाकंवर पुत्री मदनसिह है इसीप्रकार मन्जुकंवर व मुन्नीकंवर दोनो एक ही औरत के नाम है सही नाम मन्जुकंवर पुत्री मदनसिह है।

इसप्रकार वादीयागण के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादीयागण के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादीयागण का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात पेरोकार भूमिधारी द्वारा वादीयागण के जबाव के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है साथ ही यदि वादीयागण का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादीयागण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादीयागण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 297/305 की कुल 23.7320हैव भूमि में मीराकंवर, मुन्नीकंवर पुत्रीयान मदनसिह दर्ज है के स्थान पर मीराकंवर उर्फ मीनाकंवर, मुन्नीकंवर उर्फ मन्जुकंवर पुत्रीयान मदनसिह संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7.6.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. मीनाकंवर पुत्री मदनसिंह जाति राजपूत साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. मन्जुकंवर पुत्री मदनसिंह जाति राजपूत साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 195 सन 2019 निर्णय दिनांक–7·6·19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीयागण साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 297/305 की कुल 23.7320हैक्ट भूमि में मीराकंवर , मुन्नीकंवर पुत्रीयान मदनसिंह दर्ज है के स्थान पर मीराकंवर उर्फ मीनाकंवर , मुन्नीकंवर उर्फ मन्जुकंवर पुत्रीयान मदनसिंह संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 7·6·19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner